

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

9/9/2025 पत्रा. पेठा दुई/ वकील वाही, उप.। वाही हा  
वाहफत गुलाबिक दुई रिपोर्ट दिडी  
डिया बादा ही निर्णय पुथक ले लेखवापा  
जका।  
पत्रावली पुथक दुमाए हनेए  
नम्बर ले ठम की बाबत हाखिले  
दफतर हे।

**उपखण्ड अधिकारी,  
नदबई (भरतपुर)**

मक 19/8/21 नदबई वाह जका। हेतु हा नदबई  
हा। हे हाहा हाकी हाहाहा  
हे। ति हा कि 1/8/21 कांन्डी तिहाहा

19/8/21  
कांन्डी हाहाहाहा हाहाहा। हे हाहा



19/8/21  
कांन्डी हाहाहाहा हाहाहा। हे हाहा

**डिकरी व मुकदमें इब्तदाई**  
(आर्डर 20 रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)  
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)  
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई  
व इजलास श्री गंगाधर मीणा, आर.ए.एस

**मु० उ० केहरी बनाम फतेह सिंह बगौ**

दावा बाबत 53, 188 रा०का० अधिनियम

मुकदमा नंबर 09/2020


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू .....- व हाजरी वादी मिनजानिब मुददठ व .....

मिनजानिब मुददालय पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादी व प्रतिवादी को कुराजात प्रस्ताव दिनांक 26.06.2025 के अनुसार अंकित विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 1477 रकवा 0.49 हैक्टे, 1473 रकवा 1.14 हैक्टे, 1438 रकवा 0.42, 1438/4030 रकवा 0.29, 1440 रकवा 0.80, 1476 रकवा 0.53, 1480 रकवा 0.41, 1483 रकवा 0.33, 1484 रकवा 0.30 ग्राम भदीसा तहसील नदबई, 157 रकवा 0.93, 229 रकवा 0.37, 46 रकवा 0.57, 691 रकवा 0.30, 70 रकवा 0.69, 706 रकवा 0.58, 80 रकवा 1.32वाके ग्राम रौनीजा तहसील नदबई पर खातेदार कार्तकार घोषित किया जाता है। कुराजात प्रस्ताव दिनांक 26.06.2025 (प्रदर्श-अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। कुराजात प्रस्ताव दिनांक 26.06.2025 प्रदर्श-"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिकरी का अभिन्न अंग रहेगा।

बैज - मुबलिंग \_\_\_\_\_ बावत \_\_\_\_\_ खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह \_\_\_\_\_ फीसदी सालाना आज की तारीख सं तारीख व सुलयाबी तक \_\_\_\_\_ की अदा करें।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 09.09.25 को जारी की गई।

मुहरदस्तखत   
9/9/25  
उपखण्ड अधिकारी

मुददई	रुपया	पैसा	मुददालय	खर्चई (भरतैबुर)
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बावत इजराय हुक्म नामा मुतफरिक  मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक  मीजान	

1-केहरी उर्फ केहरी सिंह पि० यूआलाल जाति जाट निवासी  
नदवई जिला भरतपुर।

2. मदनसिंह उर्फ मदनलाल पि० यूआलाल जाति जाट निवासी सैनीजा  
जिला भरतपुर।

3. शिवसिंह पि० यूआलाल जाति जाट निवासी सैनीजा तहसील नदवई जिला  
भरतपुर।

4. सुगरसिंह उर्फ सुगजसिंह पि० यूआलाल जाति जाट निवासी सैनीजा तहसील  
जिला भरतपुर।

यनाम

1. फतेह सिंह पि० चंदन जाति जाट निवासी सैनीजा तहसील नदवई जिला  
भरतपुर।

2. जगदीश उर्फ केशर देवी पि० चंदन जाति जाट निवासी सैनीजा तहसील  
नदवई जिला भरतपुर।

3. केशर पुत्री चंदन जाति जाट निवासी सैनीजा तहसील नदवई जिला  
भरतपुर।

4. कमलेश पति केहरी सिंह जाति जाट निवासी सैनीजा तहसील नदवई जिला  
भरतपुर।

5. सीमा देवी पति राम प्रताप जाति जाट निवासी सैनीजा तहसील नदवई  
जिला भरतपुर।

6. मैनोजर वडीदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नदवई।

7. मैनोजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा नदवई।

-प्रतिवादीगण

9/9/25

उपखण्ड अधिकारी  
नदवई (भरतपुर)

उपखण्ड अदालत  
कीलडीन

**आयालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)**

पीठासीन अधिकारी:- श्री गंगार भीना (R.A.S.)

दिना सं.  
09/2020

रजु दिनांक  
28.02.2020

उत्तरागण

अतिरग पर्या ङिधी दिनांक  
09.09.2025


1. केहरी उर्फ केहरी सिंह पि० सूआलाल जाति जाट निवासी शैनीजा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. मदनसिंह उर्फ मदनलाल पि० सूआलाल जाति जाट निवासी शैनीजा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. शिवसिंह पि० सूआलाल जाति जाट निवासी शैनीजा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. सुगरसिंह उर्फ सुगडसिंह पि० सूआलाल जाति जाट निवासी शैनीजा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

बनाम

वादी

1. फतेह सिंह पि० चंदन जाति जाट निवासी शैनीजा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. जगदीश उर्फ केशर देवी पि० चंदन जाति जाट निवासी शैनीजा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. केशर पुत्री चंदन जाति जाट निवासी शैनीजा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. कमलेश पति केहरी सिंह जाति जाट निवासी शैनीजा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. सीमा देवी पति राम प्रताप जाति जाट निवासी शैनीजा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. मैनेजर बडींदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नदबई।
7. मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा नदबई।

—प्रतिवादीगण

  
09/09/25  
उपखण्ड अधिकारी  
नदबई (भरतपुर)

श्री लक्ष्मण सिंह पटवारी वादी की ओर से

दावा- 53, 188 राजस्थान कायलकारी अधिनियम 1955

**-: अन्तिम पर्चा डिक्री :-**

वादी वकील की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 09.09.2025 को श्री गंगाधर भीना उपखण्ड अधिकारी नदवर्डी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पैरा होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम पर्चा डिक्री दी जाती है :-

वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद का अन्तिम निर्णय किया जाता है एवं विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 1477 रकवा 0.49 हैक्ट., 1473 रकवा 1.14 हैक्ट., 1438 रकवा 0.42, 1438/4030 रकवा 0.29, 1440 रकवा 0.80, 1476 रकवा 0.53, 1480 रकवा 0.41, 1483 रकवा 0.33, 1484 रकवा 0.30 ग्राम भदीरा तहसील नदवर्डी, 157 रकवा 0.93, 229 रकवा 0.37, 46 रकवा 0.57, 691 रकवा 0.30, 70 रकवा 0.69, 706 रकवा 0.58, 80 रकवा 1.32बाके ग्राम सैनीजा तहसील नदवर्डी में स्थित है।

वादी अधिवक्ता की ओर से कुर्रा रिपोर्ट पर बहस सुनी गई । पत्रावली पर उपलब्ध कुर्रा रिपोर्ट दिनांक 26.06.2025 के अवलोकन उपरान्त वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद का अन्तिम निर्णय किया जाता है वादी व प्रतिवादी को कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 26.06.2025 के अनुसार अंकित विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 1477 रकवा 0.49 हैक्ट., 1473 रकवा 1.14 हैक्ट., 1438 रकवा 0.42, 1438/4030 रकवा 0.29, 1440 रकवा 0.80, 1476 रकवा 0.53, 1480 रकवा 0.41, 1483 रकवा 0.33, 1484 रकवा 0.30 ग्राम भदीरा तहसील नदवर्डी, 157 रकवा 0.93, 229 रकवा 0.37, 46 रकवा 0.57, 691 रकवा 0.30, 70 रकवा 0.69, 706 रकवा 0.58, 80 रकवा 1.32बाके ग्राम सैनीजा तहसील नदवर्डी पर खातेदार कायलकारी घोषित किया जाता है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 26.06.2025 (प्रदर्श-अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 26.06.2025 प्रदर्श-“अ” इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदवर्डी रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे कायल /हक

09/09/25

**उपखण्ड अधिकारी**  
नदवर्डी (भरतपुर)

अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिससे के विरुद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 09.09.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

०९/०९/२५

(गंगाधर मीना R.A.S.)

**उत्तराखण्ड अधिकांश**  
नमसाईई(भरतपुर)गंज